2021/85

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	53/2021 मगनबाई वगै0 बनाम धर्मो वगै0 अपील सं.
03.09.2021	अपीलांट अभिभाषक उपस्थित। अपील वाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व पेश की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी। विद्वान अपीलांट एड0 ने बहस अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र में अपील के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की विवेचना अपने निर्णय में नहीं दी है। रेस्पों0 01 के नाम किसी प्रकार की कोई अराजीयात जो वाद एंव टी.आई में वर्णित है, दर्ज नहीं है जबकि किसी भी पक्षकार को पाबंद करने से पूर्व स्थगन चाहने वाले पक्षकार का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये। जमाबंदी में अंकित सभी सहकाश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के कपोल कल्पित तरीके से निर्णय पारित करने की अहम भूल की, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश रिकॉर्ड के विपरीत एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रलखीत साक्ष्य तथा अपी0 का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का सन्तुलत तथा अपूर्णनीय क्षति अपी0 के पक्ष में सिद्व होते हुये भी अपना आदेश गलत रूप से पारित किया है। जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.08.2021 को निरस्त किये जाने की कृपा करें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। चूकिः अपील अन्तरिम आदेश दिनांक 05.08.2021 के विरूद्व पेश की गई है। जिसमें उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये शीघ्र निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 187/2021 उनवानी धर्मो बनाम मगनबाई में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुय यथासंभव प्रकरण का निस्तारण एक माह में करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Barwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.9.21

(बी.एल.रमण)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:56:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner